छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 2011
(फाल्गुन-3, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़, का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010)

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

पटल पर रखे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने प्रदेश की नदियों का पानी उद्योगपतियों को बेचे जाने से किसानों को पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. बहिर्गमन

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने बलौदाबाजार शिक्षा जिला अंतर्गत गुड़गहन विद्यालय में एक शिक्षक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को दी जाने वाली खाद्यान्न सामग्री में अनियमितता किए जाने,

(2) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य ने जिला जांजगीर चांपा के सक्ती से छपोरा तक की सड़क का निर्माण किये जाने,

(3) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने जर्जर सड़क का नव निर्माण किये जाने,

(4) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने माना कैम्प स्थित पी.एल.होम में रह रहे शरणार्थियों की स्थिति दयनीय होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चैतराम साहू सदस्य ने भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकुलिया में नवीन प्राथमिक शाला खोलने,

(2) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने मरवाही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत,

(i) ग्राम अंधियारखोह में हाई स्कूल खोलने,

(ii) ग्राम पिपरिया में हाईस्कूल खोलने,

(iii) ग्राम मटियाडांड-अमेरा टिकरा मार्ग में सोन नदी पर पुल निर्माण करने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत कीं ।

8.महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री देवजी पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । (चर्चा जारी)

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, अमितेष शुक्ल, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, लखमा कवासी, रामदेव राम, देवेन्द्र बहादुर सिंह, दूजराम बौद्ध, परेश बागबाहरा, भजन सिंह निरंकारी।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, दीपक कुमार पटेल, नंदकुमार पटेल, विरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा (जारी)

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री परेश बागबाहरा।

सायं 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 23 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 4, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा